संख्या:218/2022/810/35-4-2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
एटा/बलिया/बरेली/बाराबंकी/बस्ती/बांदा/बदायूं/कासगंज/कौशाम्बी/कुशीनगर/महराजगंज/महोबा/बिजनौर/मिर्जापुर/पीलीभीत/प्रयागराज/संतकबीरनगर/भदोहीं/सम्भल/देवरिया/फर्रूखाबाद/जालौन/अम्बेडकरनगर/अलीगढ़/गोण्डा/गोरखपुर/गाजीपुर/ललितपुर/अमेठी/जौनपुर/रामपुर/खीरी/सीतापुर तथा हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022

विषय:- 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के 05 विषयगत क्षेत्रों के क्रिटिकल गैप्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के पिछड़े विकास खण्डों को विकास की मुख्य धारा में लाए जाने हेतु इन विकास खण्डों के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रदेश में 34 जनपदों के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चयन किया गया है। सम्बन्धित विभागों एवं जनपदों को ब्लाक स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता के दृष्टिगत विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2022 द्वारा स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से अपने जनपद के आकांक्षात्मक विकास खण्डों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति को यथा सम्भव प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

प्रतिलिपि: सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in